"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2016- श्रावण 6, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-18/2015/32 . — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्निलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) विकास हेतु अनुज्ञा के लिये -

(एक)	1 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के विकास के लिये	-	₹. 3750/-
(दो)	1 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2.5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के विकास के लिये	ı	रु. 7500/-
(तीन)	2.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के विकास के लिये	=	रु. 15000/-
(चार)	5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के विकास के लिये प्रत्येक हेक्टेयर या उसके भाग के लिये अतिरिक्त फीस.	ı	₹. 3750/-"

2. नियम 21 के उप—नियम (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

''बहुमंजिले भवन से भिन्न के अनुज्ञा के लिए-

मद	निर्माण का प्रकार	निर्मित	। क्षेत्रफल	प्रभार्य शुल्क
	T. W. SEL SPEEK		r	
क्र.		वर्ग मीटर	वर्ग मीटर	रूपये में
(1)	(2) भवन जो पूर्णरूपेण निवास	(3)	(4)	(5)
एक	भवन जो पूर्णरूपेण निवास के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो	0	75	750.00
	*	76	125	1315.00
		126	200	2250.00
	-	201	300	3375.00
	Transmission of the state of th	301	400	4500.00
2	,	401	600	7500.00
	9	601	750	9375.00
3		751	1000	13125.00
		1001	1250	18750.00
		1251	1500	26250.00
		1501	2000	37500.00
		2001	2500	56250.00
			2500 से अधिक	56250.00 एवं प्रति वर्ग मी. के लिये रू. 20 अतिरिक्त शुल्क
दो	भवन जो दुकान, भण्डार गृह, कारखाना या व्यापार या कारोबार चलाने अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने हेतु	फीस की प्रभार, सिवा अधिक निर्मि	ऐसी रकम का य इसके कि : तिक्षेत्रफल के	ट फीस के साथ 50% अतिरिक्त 2500 वर्गमीटर से लिये प्रभार्य फीस क्त फीस होगी।

	आशयित हो	
तीन	भवन जो कि किसी	मद क्र. एक में यथाविहित फीस।
	कारखाने में प्रशासनिक	W.
	खण्ड के रूप में उपयोग	e e
	किये जाने हेतु आशयित	
	हो ।	ge
चार	भवन जो दुकान सह	मद क्र. एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ ऐसी
	निवास के प्रयोजन से	फीस की रकम का 50% अतिरिक्त प्रभार।
	उपयोग किये जाने हेतु	
	आशयित हो।	×
पांच		800 तक की बैठक क्षमता— रू. 22,500
	रूप में उपयोग किये जाने	800 से अधिक बैठक क्षमता— रू. 37,500
	हेतु आशयित हो।	
छ:	19	मद क्र. चार में विनिर्दिश्ट फीस का 50%
	धर्मार्थ, सांस्कृतिक, शैक्षणिक	20
	प्रयोजनों, धर्मशाला एवं इसी	
	प्रकार के भवनों तथा	
	किसी अन्य प्रयोजन जिसके	"
	लिये विशेष रूप से उपबंध	
	न हो; के लिये उपयोग	
	किये जाने हेतु आशयित	,
	हो।	
सात	The local features with the second of the se	मद क्र. एक, तीन और छः में उल्लिखित
		प्रत्येक भवन में रू. 150 तथा मद क्र. दो,
	B	चार और पांच में उल्लिखित प्रत्येक भवन के
	जिससे निर्मित क्षेत्र में वृद्धि	मामल म रू. 750।
	नहीं होती हो जैसे आंगन,	
	चहार दिवारी, उपस्थापना या छत निर्माण में परिवर्तन	
	जैसा कि समतल सतह की	
	ए. सी. शीट में टाइल्स	
*	लगाना, अतिरिक्त मार्ग	
	खोलना या बंद करना जो	
	नियम 94 के उप-नियम	
	(1) के उपबंध के अन्तर्गत	- 4 2
	नहीं आते हों।	
	ן וס ואוני וסוי	
L		

आठ	प्रस्तावित रेखांक	में	5% तक कुछ नहीं, 5% से अधिक तथा
	अतिरिक्त परिवर्तन	के	10% तक रू. 200.00। 10% से अधिक के
	मामले में		लिये, नियमों के अनुसार नया आवेदन
			आवश्यक होगा।
नौ	भवन अनुज्ञा का पु	नः	संबंधित भवन के संबंध में मूलतः प्रभारित की
	विधिमान्यकरण		गई फीस की रकम का 15%।"

3. नियम 21 के उप—नियम (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"बहुमंजिले भवन हेतु अनुज्ञा के लिए-

मद	निर्माण का प्रकार	प्रभारित फीस रूपये में
क्र. एक	भवन जो पूर्णरूपेण निवास	रू. 35.00 प्रति वर्गमीटर तल क्षेत्रफल।
	के लिये उपयोग किये	20
	जाने हेतु आशयित हो	

टीप : मद क्र. एक में विहित फीस में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय **शुक्ला,** सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 7-18/2015/32 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-7-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 28th July 2016

NOTIFICATION

No. F 7-18/2015/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the Sate Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules, 1984, the same having been previously published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (a) of sub-rule (3) of rule 21, the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) For permission for development –

(i)	For development of area up to 1	100	Rs. 3750/-
	hectare		
(ii)	For development of area exceeding 1	-	Rs. 7500/-
	hectare but not exceeding 2.5		
	hectare		
(iii)	For development of area exceeding	s e	Rs.15000/-
	2.5 hectare but not exceeding 5		
es La companya di	hectare		
(iv)	For development of area exceeding 5	1245	Rs. 3750/-"
20 17	hectare for every hectare or part		,
	there of, additional fee at		

2. For clause (b) of sub-rule (3) of rule 21, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) For permission for buildings other than multi storied buildings-

Ite	Type	Davil	d A	Deser	
m	Type of Construction	Build ,up Area		Fees Chargeable	
No.		Sq. meter	Sq. meter	In Rupees	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
i	A building intended to be used exclusively for residence.	0	75	750.00	
		76	125	1315.00	
		126	200	2250.00	
		201	300	3375.00	
14		301	400	4500.00	
		401	600	7500.00	
(2)		601	750	9375.00	
5		751	1000	13125.00	
	,	1001	1250	18750.00	
		1251	1500	26250.00	
		1501	2000	37500.00	
		2001	2500	56250.00	
			Above 2500	56250.00 & Rs.20 per sq. m. for additional fees	
ii	A building intended to be used as shop. store house, factory or for carrying on trade or business or any other commercial or industrial purpose	an additional charge of 50% of such amount of fees, except that for a built up area above 2500 square meters the fees chargeable shall be Rs. 20 per sq. m. for			

· · · ·		
iii	A building intended	Fees as prescribed in item No. i.
	to be used as	
	administrative	
	block in a factory.	
iv	A building intended	Fees specified in item No. i together with
Control of	to be used for shop-	1 VIIII
	cum residence	0
	1 17,27,7,7	amount of fees.
	purposes.	
V	A building intended	Up to 800 seating capacity - Rs. 22,500
	to be used as	
	Cinema Theater	,
vi	A building intended	50% of fees specified in item No. iv.
	to be used for any	
	social charitable	
	culture, educational	
	purposes,Dharmsh	
	ala and similar	*
	types of building	
	and for any other	
	purpose not	•
	specificallyprovided	
::	for.	
vii	Addition or	Rs. 150 in each of building mentioned in
	alteration with built	items i, iii and vi Rs. 750 in each case of
	up area or external	building mentioned in items Nos. ii, iv
	addition or	and v.
	alteration, which	20
	does not add to the	
	built up area such	
	as Courtyard	
	compound wall,	2 4
	alteration in	
	elevation or roofing	
	such as tiles to A.	
	C. Sheet or flat	
	surface, additional	*
	opening or closing	a gar
	Total Section Asserts	
	5	
	provision to sub	
viii	rule (1) of Rule 94	
V111		Up to 5 % Nil. Above 5% to 10% Rs.
	alteration in the	200.00. Above 10% fresh application
	proposed plan	according to the rules shall be necessary.
ix	Revalidation of the	15 % of the amount of fees charged
	building	originally in respect of the building

permission.	concerned."	
-------------	-------------	--

3. For clause (c) of sub-rule (3) of rule 21, the following shall be substituted:-

"For permission for multi storied buildings-

Item No. Type of construction		Fees chargeable in rupees
i		Rs. 35.00 per Sq. Mts. floor
· ·	be used exclusively for residence.	area space

Note: Fee prescribed in item no. i to be increased by 10% every year."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, SANJAY SHUKLA, Secretary.